ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



## उत्तर प्रदेश शासन

## उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद

तह्सील मुरादाबाद जारी दिनांक: 14/05/2025

आवेदन क० 251350030050378 प्रमाणपत्र क० 042253016634

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री **श्री संजय सैनी** माता का नाम **श्रीमती दीपा** 

निवासी ,नियर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज एकता

रोशनी/Roshni

कॉलोनी लाइन पार

तहसील **मुरादाबाद** जिला **मुरादाबाद** 

उत्तर प्रदेश राज्य की <u>सैनी</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **रोशानी/Roshni** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिप छट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: पूजा,वाईफाई चौपाल जन सेवा केंद्रRajkumar Digitally Signed by पद: पूजा, केन्द्र प्रभारी
Singh

स्थान : 37,MORADABAD (M CORP.) -WARD NO.37,मुरादाबाद,मुरादाबाद,मुरादाबाद

**दिनॉक: 14/05/2025** हस्ताक्षर एंव महर सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित मुरादाबाद,मुरादाबाद दिनॉंक:14/05/2025

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।